प्रेस नोट
दिनांक 01.12.2024

ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के सोने–चांदी के आभूषण, 01 रेडमी कम्पनी का मोबाइल फोन व 10,000 रूपये नगद बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य मोबिन पुत्र शकील अहमद नि0 आवास विकास कालोनी निकट आरपी लान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को सतईपुरवा रोड़ से रानीपुरवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु, 05 अदद अंगूठी पीली धातु, 01 जोड़ी झुमका पीली धातु, 01 अदद पायल सफेद धातु, 01 अदद मोबाइल फोन व 10,000/– रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.11.2024 की रात्रि थाना को0 नगर के उ0नि0 विपुल कुमार व उ0नि0 अंकित उपाध्याय मय पुलिस टीम के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सतई पुरवा रोड से रानीपुरवा जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध दिखने पर अभियुक्त मोबिन को रोक–टोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से चोरी के सोने/चांदी के आभूषण व 10,000/– नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह आर्थिक लाभ कमाने हेतु अपने साथियों के साथ ट्रेनों में चोरी/छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। अभियुक्त मोबिन द्वारा अपने साथी आदिल के साथ मिलकर उक्त बरामद सोने–चांदी के आभूषण व नगदी रेलवे स्टेशन गोण्डा के प्लेटफार्म नं0–01 व प्लेटफार्म नं0–02 में आयी ट्रेनों के ए0सी0 बोगी से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोबिन पुत्र शकील अहमद नि0 आवास विकास कालोनी निकट आरपी लान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–903/24 धारा 35/317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु।
02. 05 अदद अंगूठी पीली धातु।
03. 01 जोड़ी झुमका पीली धातु।
04. 01 अदद पायल सफेद धातु।
05. 01 अदद रेडमी कम्पनी का मोबाइल फोन
06. 10,000/– रू0 नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
03. हे0का0 अजय पाण्डेय।
04. हे0का0 दीनदयाल यादव।
05. का0 संदीप चौहान।
06. का0 विजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 01.12.2024</u>

<u>अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना नवाबगंज परिसर में ग्राम प्रधानों/संभ्रान्त व्यक्तियों व व्यापार मण्डल के सदस्यों को साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया गया व्यापक जागरूक–</u>

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के पांचवे दिन अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा थाना नवाबगंज परिसर में थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधानों/संभ्रान्त व्यक्तियों व व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर साबइर अपराध से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जानकारी दी गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। महोदय द्वारा <u>& NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।</u>

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.12.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 03 जोड़े एक साथ रहने को हुए राजीः—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 03 जोडो को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण—

श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मोर्या, श्रीमती संतोष ओझा, यशोदा नन्दन त्रिपाठी उ0नि0 प्रियंका सिंह, म0आ0 ज्योति राजभर, म0आ0 शाहिना बानों आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।